निगम के इंजीनियरों के साथ तकनीकी अमले ने की नापजोख

निगम ने कुण्डला सिटी के 121 मकानों का किया शुरू किया चिन्हांकन

■ नवभारत ब्यूरो। अंबिकापुर.

नगर के कुण्डला सिटी में वर्ष 2008 के बाद बगैर अनुज्ञा भवन निर्माण के

कार्रवाई

- वर्ष 2008 के बाद बगैर अनुज्ञा निर्माण कार्य पर निगम ने शुरू की कार्यवाही
- नापजोख से कुण्डला सिटी के मकान मालिकों में हड़कंप

आरोपों की जांच निगम प्रशासन ने शुरू कर दी है. निगम के तकनीकी अमले ने आयुक्त के निर्देश पर आज कुण्डला सिटी के 55 भवन का नापजोख करते हुए सीमांकन व मार्किंग किया गया.

बताया जा रहा है कि कुण्डला सिटी में वर्ष 2008 के बाद बगैर अनुज्ञा 121 भवन निर्माण का आरोप लगाया गया था, मगर निगम प्रशासन के द्वारा इन आरोपों की जांच पड़ताल नहीं की गई थी. निगम आयुक्त सूर्यकिरण तिवारी ने कहा कि कुण्डला सिटी में विवादित प्रापर्टी का चिन्हांकन, परीक्षण का कार्य किया जा रहा है. परीक्षण के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने कहा कि कुण्डला सिटी के 121 विवादित मकानों का परीक्षण व चिन्हांकन किया जायेगा.

कुण्डला सिटी में चिन्हांकन के लिए पहुंचा निगम का अमला.

चिन्हांकन के बाद होगी नियमानुसार कार्यवाही

निगम आयुक्त सूर्यकिरण तिवारी ने कहा कि कुण्डला सिटी के विवादित 121 मकानों का सीमांकन व मार्किंग कार्य शुरू किया गया है. चिन्हांकन परीक्षण होने के बाद निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

मकान तोड़ने नहीं, फाईन का प्रावधान है..!

इस संबंध में बिल्डर केएन सिंह का कहना है कि कॉलोनी का निर्माण स्वीकृत नक्शे के मुताबिक किया गया है. वर्ष 2008 के बाद अनुज्ञा के समय भी आवेदन पहले दिया जा चुका था जिसमें विलंब हुआ था. इसमें फाईन का प्रावधान है न कि भवन तोड़ने का. उन्होंने कहा कि भवन स्वामी आवेदन दे चुके हैं जो भी जुर्माना हो भवन मालिक देने के लिए तैयार है. जमीन संबंधी कोई विवाद नहीं है. सारे प्रकरणों का निपटारा हो चुका है.

आज पहले दिन निगम के तकनीकी अमले ने 55 मकानों का चिन्हांकन किया. इधर कुण्डला सिटी में विवादित प्रापर्टी की नापजोख व चिन्हांकन शुरू किये जाने से मकान मालिकों में हड़कंप का माहौल है.